Most Urgent

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक –प.2(15)आयु./2005 पार्ट जयपुर, दिनांक : 14.07.2017

आदेश

इलेक्ट्रोपैथी पद्वति को राज्य में चिकित्सा कार्य हेतु वैधानिकता प्रदान किये जाने हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार–विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्तावों हेतु समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 20.04.2015 द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का जिस कार्य के लिए गठन किया गया था, उस कार्य के सम्पादन में समिति द्वारा अपने आप को सक्षम नहीं मानते हुए किसी प्रकार की अभिशंषा नहीं की गई है, अतः उक्त कार्य के सम्पादन हेतु एक नवीन समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

1. प्रोफेसर बी.आर. छीपा, कुलपति श्री केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (अध्यक्ष)
2. प्रोफेसर धनजंय अग्रवाल, विभागाध्यक्ष नेफ्रोलाजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर (सदस्य)
3. डॉ. रविन्द्र पालीवाल, प्रोफेसर उद्यान विज्ञान एवं निदेशक (एच.आर.डी.) कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर– जयपुर (सदस्य)।
4. वैद्य श्रीराम तिवाड़ी, विशेषाधिकारी आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर (सदस्य सचिव)।

वर्तमान गठित कमेटी, 20.04.2015 को गठित कमेटी की रिपोर्ट एवं तथ्यों तथा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सम्बन्ध में अब तक प्रस्तुत दस्तावेजों व तथ्यों का वैज्ञानिक एवं विधिक पहलुओं के आधार पर विश्लेषण करते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पद्वति को राज्य में मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एक माह में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त के सम्बन्ध में आयोजित की जाने वाली बैठकों में आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सहित विभिन्न विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकेगा। समिति को समस्त मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन तथा यात्रा भत्ता, वाहन सुविधा, स्टेशनरी, टाईपिंग, फोटोस्टेट इत्यादि खर्च, मीटिंग स्थान की उपलब्धता इत्यादि के लिए वांछित धनराशि का प्रावधान आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

महेन्द्र प्रकाश शर्मा

(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. निजी सचिव, कुलपति श्री केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
5. निदेशक, होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, जयपुर
6. प्राचार्य/अधीक्षक, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
8. प्रो. बी.आर. छीपा, कुलपति श्री केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
9. प्रो. धनजंय अग्रवाल, विभागाध्यक्ष नेफ्रोलाजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
10. डॉ. रविन्द्र पालीवाल, प्रोफेसर उद्यान विज्ञान एवं निदेशक (एच.आर.डी.) कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर– जयपुर ।
11. वैद्य श्रीराम तिवाड़ी, विशेषाधिकारी आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव